

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

पुनीत कुमार बनाम पुष्पेश सिंह आदि
 दिनांक 11/12/2015 मु.नं. 285 वर्ष 2015

दिनांक	आज्ञा - पत्र
5/12/2015	<p>वशावली के डुई वकील उठकर हुए। गवाह हों हुए वकील उठाने के बाद चाही भत्ता 100 रु की जा वर इति इनके लिए जमा वशावली लिखित 5/12/15 को के है</p>
15/12/25	<p>वशावली के डुई वकील उठाने के उठाने के बाद उठाने के बाद उठाने के में वकील उठाने के उठाने के गए-गए के बाद उठाने के उठाने के वाक्या भी उठाने के उठाने के ही लगे वर उठाने के उठाने के जाकि कि उठाने के उठाने के वशावली के उठाने के उठाने के 5/12/15 को के है</p>

उपखण्ड अधिकारी
 धोद जिला-सीकर

